राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1091/14,1093/14,1095/14,1097/14,1099/14 एवं 1101/14 जिला सिरोही
मैसर्स जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड,पिण्डवाडा,सिरोही बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत–पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2014	उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई थीं, वे आदेश अब अस्तित्व में नही रहे हैं । अतः सभी 6 अपीलें सारहीन (Infructuous) हो जाने से अस्वीकार योग्य है । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सहायक आयुक्त,हनुमानगढ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59 को उद्धरित किया। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने स्थगन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित संयुक्तादेश 20.06.2014 एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 14.07.2014 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी ने उनके समक्ष लम्बित अपीलों का निष्पादन कर दिया है। अतएव अपीलीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित संयुक्तादेश दिनांक 14.07.2014 को पारित कर दिये जाने से अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 20.06.2014 के विरूद्ध विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही शेष नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सहायक आयुक्त,हनुमानगढ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59 के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकरी के अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 20.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन (Infructuous)हो जाने से एतद्द्वारा खारिज किये जाते हैं। (सुनील शर्मा) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1091 / 14,1093 / 14,1095 / 14,1097 / 14,1099 / 14 एवं 1101 / 14 जिला सिरोही
मैसर्स जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड,पिण्डवाडा,सिरोही बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत–पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त 6 अपीलें अपीलीय प्राधिकारी (द्वितीय), वाणिज्यिक कर, जोधपुर(जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा)के द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 20.06.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है,के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं तथा जिसमें सहायक आयुक्त,विशेष वृत–पाली(जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विकय कर अधिनियम,1994 की धारा 29(8) एवं 58 सपठित राजस्थान विकय कर नियम,1995 के नियम 34 तथा अधिनियम की धारा 24(6) एवं 55 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम,2006 के नियम 35 के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2008–09, के लिए पारित पृथक–पृथक निर्धारण आदेश दिनांक 22.05.2014 के जरिए सृजित मांग राशियों में से निम्न तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित राशियों के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी के अपीलान्तर्गत संयुक्तादेश दिनांक 20.06.2014 के अन्तर्गत निम्न लिखित वसूली योग्य राशियों की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई है :–	

अपील संख्या	वर्ष एवं आदेश दिनांक	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1091 / 14	2003–04 / 22.05.2014	रू. 18,01,12,567 / –
1093 / 14	2004–05 / 22.05.2014	रू.31,23,01,874 / –
1095 / 14	2005–06 / 22.05.2014	रू. 46,15,84,805 / –
1097 / 14	2006–07 / 22.05.2014	रू. 18,61,16,756 / –
1099 / 14	2007–08 / 22.05.2014	रू.55,21,27,780 / –
1101 / 14	2008–09 / 22.05.2014	रू. 37,04,18,090 / –

अपीलों की सुनवाई के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी के संयुक्तादेश दिनांक 20.06.2014 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन पत्रों को अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध कर बोर्ड में अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के दायर की गई थीं, अपीलीय अधिकारी ने उनसे सम्बन्धित अपीलों का निष्पादन दिनांक 14.07.2014 को कर दिया है, इसलिए जिस संयुक्तादेश के विरुद्ध